I/66515/2023

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी)

दिनांक-:-**15-06-2023**

प्रेषक

राहुल कुमार, भा०प्र०से०,
आयुक्त, मनरेगा -सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषय: **15 जून से 15 अक्टूबर के बीच मनरेगा अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में।**

प्रसंग: **विभागीय पत्रांक 5410, दिनांक 26-06-2009, पत्रांक 141/C, दिनांक 18-08-2007 एवं BRDS के पत्रांक 1165 दिनांक 13-06-2020 एवं पत्रांक 25988 दिनांक 17.06.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के सम्बन्ध में सूचित करना है कि महात्मा गाँधी नरेगा एक अधिनियम आधारित योजना हैं जिसमे अकुशल मजदूरी की मांग किए जाने पर संबंधित जॉब कार्डधारी को रोजगार उपलब्ध करना अनिवार्य है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में इच्छुक परिवारों को कार्य उपलब्ध कराने हेतु बड़ी संख्या में योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इसके साथ हीं जल-जीवन-हरियाली अभियान के विभिन्न अवयवों का कार्यान्यवन मनरेगा से कराया जा रहा हैं जिसमे पोखर /तालाब,अमृत सरोवर,आहर, पईन का निर्माण /जीर्णोधार, सार्वजानिक चापाकलों के किनारे सोखता निर्माण के साथ -साथ निजी जमीन पर खेत पोखरी निर्माण की योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही है, जिन्हे पूर्ण किया जाना है। 15 जून से 15 अक्टूबर की अवधि में सामाजिक वानिकी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभुकों के आवास निर्माण में मजदूरी भुगतान की योजना, निजी जमीन पर व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं यथा- बकरी शेड, मुर्गी शेड, पशु शेड, वर्मी कम्पोस्ट/नाडेप पिट आदि को कार्यान्वित करते हुए रोजगार उपलब्ध करया जाना है।

15 जून से 15 अक्टूबर की अवधि में इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ हीं इस अवधि में

I/66515/2023

निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुए निम्नलिखित मिट्टी के कार्य कराया जाये ताकि जल-जीवन-हरियाली अंतर्गत कार्यान्वित योजनाओं को पूर्ण किया जा सके

- मिटटी के कार्यों में मिटटी की संरचना का CS तथा LS भी कराया जाय ।
- कार्य आरंभ होने के पूर्व, योजना के कार्यान्वयन के दौरान तथा योजना के समापन पर पर्याप्त मात्र में डिजिटल फोटो Geo-Coordinates , Date तथा Time stamp के साथ लिया जाए ताकि कराए गए वास्तविक कार्य की संपुष्टि हो सके।
- वैसे कार्यस्थलों जहाँ ज्यादा संख्या में मजदूरों को कार्य आवंटित किया गया हैं उनपर कार्य किये जाने की वीडियो क्लिप भी तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।
- प्रत्येक दो दिनों के उपरांत मिट्टी कार्य की मापी कर मापी पुस्त में दर्ज करायी जाय तथा अंतिम मापी का सत्यापन सक्षम प्राधिकार से कराते हुए मापी पुष्त की अभिप्रमाणित प्रति समर्पित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- मनरेगा योजनान्तर्गत सभी योजनाओं (निजी योजनाओं को छोड़कर) के कार्यों में कार्य स्थल पर मौजूद मजदूरों की 100% उपस्थति NMMS App के माध्यम से दर्ज किए जाए।

अतः 15 जून से 15 अक्टूबर की अवधि में उपरोक्त शर्तों का पालन करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने की गति को बनाए रखा जाए एवं कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करवाना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

Signed by Rahul Kumar
Date: 15-06-2023 14:00:06

(राहुल कुमार)
आयुक्त, मनरेगा -सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा)/कार्यक्रम पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मनरेगा)/सहायक अभियंता (मनरेगा) को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।